(120)

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर [म.प्र.]

म.प्र. राज्य द्वारा मुख्यालय उप पंजीयक सतना जिला सतना म.प्र.
---------- अपीलार्थी

अपील 1784-II/07

बनाम

श्रीमती शोलू जैन पत्नी संदीप कुमार जैन निवासी- आवंती फार्मा पुराना पॉवर हाउस चौक सतना, तहसील रघुराजनगर जिला सतना म.प्र. [क्रेता

[2] पवन कुमार जैन तनय स्व. हुकुम चन्द्र जैन निवासी पुराना पावर हाउस चौक सतना जिला सतना म.प्र. [विक्रेता
---------- उत्तरवादीगण

अपील विरूद्ध आदेश माननीय अपर आयुक्त रीवा सम्भाग रीवा, प्रकरण क्र. 284/अपील/2004-05, आदेश दिनांक 11.6.07

अपील अन्तर्गत धारा 47 [4 [भा.स्टा.अधि

मान्यवर,

अपीलार्थी निम्नानुसार अपील प्रस्तुत कर विनयी है :-

उक्त प्रकरण में माननीय अपर आयुक्त रीवा सम्भाग रीवा म.प्र. के प्रकरण क्रमांक 284/अपील/2004-05 आदेश दिनांक 11.6.07 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने हेतु जिला पंजीयक सतना के आदेशानुसार अपीलार्थी द्वारा शासन से अनुमति चाही गई, जिस पर शासन द्वारा पंजी क्रमांक 3143/2007/2/5, प्रमुख सचिव वाणिज्यकर म.प्र. शासन एवं द्वारा उपरोक्त आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने हेतु प्रशासकीय अनुमति प्रदान की गई है, जिस परिपेक्ष्य मे महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक म.प्र. के पत्र क्रमांक 2688/न्याया./07/ अक्टूबर 2007 के द्वारा उक्त अपील प्रस्तुत करने हेतु अनुमति प्रदान की गई है, जिसकी छायाप्रति अपील के साथ संलग्न है

2....

<u>राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर</u>

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक अपील 1784–दो / 07 जिला –सतना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
25.7.17	अपीलार्थी शासन के पैनल अधिवक्ता श्री बी0 एम0 त्यागी उपस्थित। प्रतिअपीलार्थी की ओर से श्री एस0 के0 वाजपेयी उपस्थित। अपीलार्थी के अधिवक्ता की ओर से तक प्रस्तुत किये गये, प्रतिअपीलार्थी के अधिवक्ता ने अवगत कराया कि अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के आदेश दिनांक 11.6.2007 के विरूद्व यह अपील प्रस्तुत की गई है। अपर आयुक्त के आदेश के पश्चात कलेक्टर ऑफ स्टाम्प सतना ने दिनांक 22.5.09 को आदेश पारित करते हुये मुद्रांक स्टाम्प ने स्टाम्प शुल्क का भुगतान होने के पश्चात मूल दस्तावेज प्रतिअपीलार्थी को वापस कर दिया है इस प्रकार अब कोई कार्यवाही होना शेष नहीं है। 2– कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के आदेश दिनांक 22.5.2009 की प्रतिलिपि प्रस्तुत की गयी जिसके अवलोकन से प्रतिअपीलार्थी के तर्क की पुष्टि होती है। उक्त परिस्थिति में यह अपील प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। सदस्य	